राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज.,जयपुर

क्रमांक :–ई–18/एम/सीधी भर्ती/क.स./2019/ दिनांक :

आदेश

सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्र कमांक प.1(6)प्र.सु./अनु03/2017 दिनांक 14.02.2019 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में चयनित 15 अभ्यर्थियों को इस विभाग के अधीन नियुक्ति दिये जाने हेतु निर्देशित किया है। इन 15 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन किये जाने से पूर्व सम्बन्धित सेवा नियमों के अन्तर्गत एवं विज्ञापन में दर्शायी गई शर्तों यथा आयु, वर्ग एवं योग्यता प्रमाण पत्रों की मान्यता के सम्बन्ध में आवश्यक जांच किये जाने हेतु संबन्धित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 20.02.2019 को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर कमरा नं. 108 में निम्नलिखित मूल दस्तावेजों एवं एक प्रमाणित फोटो प्रति के साथ उपस्थित होगें :–

1. माध्यमिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा की मूल अंक तालिकाएं एवं मूल प्रमाण पत्र।
2. मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
3. जाति प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट साईज के चार फोटो।
5. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह/दहेज संबन्धी शपथ पत्र एवं दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नही होने का शपथ पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित।
6. यदि विवाह दिनांक 22.05.2006 से पूर्व हुआ है तो नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। यदि विवाह दिनांक 22.05.2006 के पश्चात हुआ है तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य।
7. निःशक्तजन अभ्यर्थी संबन्धित मूल प्रमाण पत्र लेकर आये।

नोटः– काउंसलिंग हेतु आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भत्ता देय नही होगा।

(डॉ. बी.एल. सैनी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :–ई–18/एम/सीधी भर्ती/क.स./2019/575 दिनांक : 19/02/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
2. संबन्धित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ।
3. आदेश/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर